



This is a digitally signed gazette, to verify click [here](#).

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार 26 अप्रैल, 2012/6 वैशाख, 1934

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-9, 6 अप्रैल, 2012

सं० आर०डी०डी०ए०ए०(ए)(1)1/99.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद, 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: आर.डी.डी-एए(ए)(1)-1/99 तारीख 7 अक्टूबर, 2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम, बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध "क" का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग—I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2003 के उपाबन्ध "क" में:—

(क) स्तम्भ संख्या—2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
"85 (पच्चासी)"

(ख) स्तम्भ संख्या—4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—
"10300—34800 रुपये जमा 4400/—रुपये ग्रेड पे"

(ग) स्तम्भ संख्या—11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"निम्नलिखित सम्भरक प्रवर्गों के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्नातक हों तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:—

क्रम सं०	सम्भरक प्रवर्ग	प्रतिशतता
1.	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	20%
2.	अधीक्षक ग्रेड—II	15%
3.	जिला अंकेक्षण अधिकारी/अनुदेशक	05%
4.	महिला समाज शिक्षा संयोजिका (मुख्य सेविकाएँ)	05%
5.	प्रसार अधिकारी (उद्योग)	2.5%
6.	प्रसार अधिकारी (सहकारिता)	2.5%
	कुल..	50%

खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को भरने के लिए 85 बिन्दु "पद आधारित" रोस्टर का निम्न प्रकार से अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या:

पहला, तीसरी, पांचवां, सातवां, नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवां, उन्नसीवां, ईक्कीसवां, तेईसवां, पच्चीसवां, सताईसवां, उनतीसवां, ईकतीसवां, तेतीसवां, पैतीसवां, सैंतीसवां, उनतालीसवां, ईकतालीसवां, तेतालीसवां, पैतालीसवां, सैंतालीसवां, उनचासवां, ईकयावनवां, तिरपनवां, पचपनवां, सतावनवां, उनसठवां, इकसठवां, तिरसठवां, पैसठवां, सड़सठवां, उनहतरवां, ईकहतरवां, तिहतरवां, पचहतरवां, सतहतरवां, उनासीवां, ईक्यासीवां, तिरासीवां तथा पचासीवां	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
दूसरा, चौथा, आठवां, दसवां, चौदहवां, बाईसवां, चौबीसवां, अठाईसवां, तीसवां, बयालीसवां, अड़तालीसवां, पचासवां, चौवनवां, चौसठवां, छियासठवां, सत्तरवां तथा बहतरवां	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
छठा, बारहवां, बीसवां, छब्बीसवां, बत्तीसवां, अड़तीसवां, छियालीसवां, बावनवां, अठावनवां, बासठवां, अड़सठवां, चौहतरवां तथा अठहतरवां	अधीक्षक ग्रेड—II
अठारवां, चौतीसवां, साठवां तथा छयतरवां	जिला अंकेक्षण अधिकारी/अनुदेशक
सोलवहां, चवालीसवां, छप्पनवां तथा चौरासीवां	महिला समाज शिक्षा संयोजिका/ (मुख्य सेविका)
चालीसवां तथा अस्सीवां	प्रसार अधिकारी (उद्योग)
छतीसवां तथा बयासीवां	प्रसार अधिकारी (सहकारिता)

टिप्पणी.—रोस्टर प्रत्येक पच्चासीवीं रिक्ति के पश्चात् तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि सभी संभरक प्रवर्गों को खण्ड विकास अधिकारी के संवर्ग में विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद रिक्ति, उसी संभरक प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।

ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमों से, इस पद के पदधारियों में से जो स्नातक हों और विकास के क्षेत्र में फील्ड अनुभव रखते हों तथा समरूप वेतनमान में भी कार्यरत हों या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारियों में से सैकण्डमैण्ट आधार पर जब तक कि अभ्यर्थी अपने-अपने संभरक प्रवर्गों में खण्ड विकास अधिकारी के पद (पदों) पर प्रोन्नति किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता/जाते।

आदेश द्वारा,
एस. के. बी. एस. नेगी,
 प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)।

अनुबन्ध "क"

हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी वर्ग—I (राजपत्रित) पद के लिये भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**—खण्ड विकास अधिकारी।
2. **पद (पदों) की संख्या.**—85 (पच्चासी)।
3. **वर्गीकरण.**—वर्ग—I (राजपत्रित)।
4. **वेतनमान.**—रु0 10300—34800 ग्रेड पे रु0 4400/-
5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**—चयन पद।
6. **सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिये आयु सीमा.**—जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं हेतु सीधी भर्ती के लिये समय-समय पद विहित की जाए।

परन्तु सीधी भर्ती के लिये ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा पद नियुक्त पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी ;

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पद नियुक्त किया गया अथ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो यह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा ;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिये उच्चतम आयु में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है ;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जायेगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त

किये गये थे/किये गये हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से अमेलित किये गये हैं/किये गये थे।

(1) सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) की, यथास्थिति, आवेदन आमंत्रित करने के लिये विज्ञापित किया गया हो या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हो।

(2) अन्यथा सुअर्हित अथ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा और अनुभव आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं—(क) अनिवार्य अर्हता(एँ)—जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की सीधी भर्ती के लिये समय-समय पर विहित की जाएं।

(ख) वांछनीय अर्हता(एँ)—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं:

आयु.—लागू नहीं।

शैक्षणिक अर्हताएं.—नीचे दिये गए स्तम्भ सं0 11 में यथा विहित।

9. परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम द्वारा इत्यादि।

(ii) 50% प्रोन्नति द्वारा और भा0प्र0से0/हि0प्र0 प्रोबेशनरज में से (पांच पद) ऐसा न होने पर सैकण्डमैंट आधार पर।

टिप्पणी.—भा0प्र0से0/हि0प्र0से0 अधिकारियों के लिये अंकित 05 (पांच) पदों को प्रोन्नति के लिए 50% कोटे में समायोजित किया जाएगा।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—“निम्नलिखित सम्भरक प्रवर्गों के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्नातक हों तथा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो:—

क्रम सं0	सम्भरक प्रवर्ग	प्रतिशतता
1.	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी	20%
2.	अधीक्षक ग्रेड—II	15%
3.	जिला अंकेक्षण अधिकारी/अनुदेशक	05%
4.	महिला समाज शिक्षा संयोजिका (मुख्य सेविकाएँ)	05%
5.	प्रसार अधिकारी (उद्योग)	2.5%
6.	प्रसार अधिकारी (सहकारिता)	2.5%
	कुल..	50%

खण्ड विकास अधिकारियों के पदों को भरने के लिए 85 बिन्दु "पद आधारित" रोस्टर का निम्न प्रकार से अनुसरण किया जाएगा:—

रोस्टर बिन्दु संख्या

पहला, तीसरी, पांचवां, सातवां, नौवां, ग्यारहवां, तेरहवां, पन्द्रहवां, सत्रहवां, उन्नीसवां, ईक्कीसवां, तेईसवां, पच्चीसवां, सताईसवां, उनतीसवां, ईकतीसवां, तेतीसवां, पैतीसवां, सैंतीसवां, उनतालीसवां, ईकतालीसवां, तेतालीसवां, पैतालीसवां, सैंतालीसवां, उनचासवां, ईक्यावनवां, तिरपनवां, पचपनवां, सतावनवां, उनसठवां, इकसठवां, तिरसठवां, पैसठवां, सड़सठवां, उनहतरवां, ईकहतरवां, तिहतरवां, पचहतरवां, सतहतरवां, उनासीवां, ईक्यासीवां, तिरासीवां तथा पचासीवां	हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा इत्यादि की संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
दूसरा, चौथा, आठवां, दसवां, चौदहवां, बाईसवां, चौबीसवां, अठाईसवां, तीसवां, बयालीसवां, अड़तालीसवां, पचासवां, चौवनवां, चौसठवां, छियासठवां, सत्तरवां तथा बहतरवां	समाज शिक्षा एवं खण्ड योजना अधिकारी
छठा, बारहवां, बीसवां, छब्बीसवां, बत्तीसवां, अड़तीसवां, छियालीसवां, बावनवां, अठावनवां, बासठवां, अड़सठवां, चौहतरवां तथा अठहतरवां	अधीक्षक ग्रेड-II
अठारवां, चौतीसवां, साठवां तथा छयतरवां	जिला अकॅक्षण अधिकारी/अनुदेशक
सोलवहां, चवालीसवां, छप्पनवां तथा चौरासीवां	महिला समाज शिक्षा संयोजिका/(मुख्य सेविका)
चालीसवां तथा अस्सीवां	प्रसार अधिकारी (उद्योग)
छतीसवां तथा बयासीवां	प्रसार अधिकारी (सहकारिता)

टिप्पणी.—रोस्टर प्रत्येक पच्चासीवीं रिक्ति के पश्चात् तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि सभी संभरक प्रवर्गों को खण्ड विकास अधिकारी के संवर्ग में विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद रिक्ति, उसी संभरक प्रवर्ग से भरी जाएगी जिससे पद रिक्त होता है।

ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बोर्डों/निगमों से, इस पद के पदधारियों में से जो स्नातक हों और विकास के क्षेत्र में फील्ड अनुभव रखते हों तथा समरूप वेतनमान में भी कार्यरत हों या भारतीय प्रशासनिक सेवाएं/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं के अधिकारियों में से सैकण्डमैण्ट आधार पर जब तक कि अभ्यर्थी अपने-अपने सम्भरक प्रवर्गों में खण्ड विकास अधिकारी के पद (पदों) पर प्रोन्नति किए जाने के लिए पात्र नहीं हो जाता/जाते।

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम, क्षेत्रों में, पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी;

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो ;

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जायगा।

स्पष्टीकरण-I.—उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.—उपर्युक्त परन्तुक 1 के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार वृत्त ।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पधर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायेगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी;

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे ;

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिनका प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायेगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेनसीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेनसीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना क्या है.—विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, हि0 प्र0 लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्देशित सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने के जिन परिस्थितियों में हि0प्र0 लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा कि विधि द्वारा आपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन.—मौखिक परीक्षा के आधार पर, और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

16. आरक्षण.—उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों/अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिये सेवाओं में आरक्षण के बावत जारी किये गये अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.—सेवा में प्रत्येक सदस्य को, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां यह कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत शिथिल कर सकेगी।

[Authoritative English Text of Govt. Notification No. RDDAA(A)(1)1/99-Part dated as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the 6th April, 2012

No. RDD-AA(A)(1)-1/99-Part.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified vide this Department Notification No. RDD-AA(A)(1)-1/99 dated 07th October, 2003:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (Amendment) Rules, 2012.

(2) These Rules shall come in to force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-‘A’.—(1) In Annexure ‘A’ to the Himachal Pradesh Rural Development Department Block Development Officer, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2003.

- (a) For the existing provision against column no-2 the following shall be substituted namely:—“85 (eighty five)”
- (b) For the existing provision against column no-4 the following shall be substituted namely:—“Rs.10300-34800+Grade Pay Rs.4400/-”
- (c) For the existing provision against column no-11 the following shall be substituted namely:-

“By promotion from amongst the incumbents of the following feeder categories who are Graduate and possess five years’ regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:—

S.No.	Feeder category	%
(i)	Social Education & Block Planning Officer	20%
(ii)	Superintendent Grade-II	15%
(iii)	District Audit Officer/Instructor	05%
(iv)	Lady Soocial Education Organizer (Mukhya Sevika)	05%
(v)	Extension Officer (Industries)	2.5%
(vi)	Extension Officer (Cooperation)	2.5%
	Total..	50%

For filling up the posts of Block Development Officer the following 85 points “post” based roster shall be followed:—

Roster Point(s) No.	Categories
1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th, 31st, 33rd, 35th, 37th, 39th, 41st, 43rd, 45th, 47th, 49th, 51st, 53rd, 55th, 57th, 59th, 61st, 63rd, 65th, 67th, 69th, 71st, 73rd, 75th, 77th, 79th, 81st, 83rd & 85th	Direct recruitment through the H.P. Administrative Service Etc. Combined Competitive Examination.
2nd, 4th, 8th, 10th, 14th, 22nd, 24th, 28th, 30th, 42nd, 48th, 50th, 54th, 64th, 66th, 70th, & 72nd	Social Education & Block Planning Officer.
6th, 12th, 20th, 26th, 32nd, 38th, 46th, 52nd, 58th, 62nd, 68th, 74th & 78th	Superintendent Grade-II
18th, 34th, 60th & 76th	District Audit Officer/ Instructor
16th, 44th, 56th & 84th	Lady Social Education Organisor (Mukhya Sevika)
40th & 80th	Extension Officer (Industries)
36th & 82nd	Extension Officer (Cooperation)

Note.—The roster will be rotated after every 85th vacancy till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Block Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.

Failing which “on secondment basis” from amongst the incumbents of this post who are Graduate and possessing field experience in Development Sector and also working in the identical pay scale from other Departments/Boards/Corporations of the H.P. Government or IAS/HAS Officers till the incumbent(s) in the respective feeder categories become(s) eligible for consideration for promotion(s) to the post(s) of Block Development Officer.

By order,
(S. K. B. S. Negi),
Pr. Secretary (RD).

“Annexure-A”

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF BLOCK
DEVELOPMENT OFFICER (GAZETTED-CLASS-I), IN THE DEPARTMENT OF
RURAL DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of post.**—Block Development Officer
2. **Number of post(s).**—85 (Eighty Five)
3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)
4. **Scale of pay.**—Rs.10300-34800+Grade Pay Rs.4400/-
5. **Whether “Selection” post or “Non selection post.**—Selection

6. **Age for direct recruitment.**—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh Administrative Services from time to time.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contractual appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations / Autonomous Bodies at the time of initial of such constitution of such Corporations / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations / Corporations/Autonomous Bodies and who were / are finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

- (1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be .
- (2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualification(s) for direct recruit(s):

(a) *ESSENTIAL QUALIFICATION(s)*.—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh . Administrative Service from time to time.

(b) *DESIRABLE QUALIFICATION(S)*.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the Peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):

Age.—Not applicable.

Educational Qualifications.—As prescribed under column No.11 below.

9. Period of probation, If any.—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—

- (i) 50% by direct recruitment through H.P. Administrative Services etc. Combined Competitive Examination.
- (ii) 50% by promotion and from amongst the IAS / HAS Probationers (05 posts) failing which on secondment basis.

Note.—05 (five) posts earmarked for IAS / HAS Probationers will be adjusted towards 50% promotion quota.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—(a) By promotion from amongst the incumbents of the following feeder categories who are Graduate and possess five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:—

S. No.	Feeder category	%
(i)	Social Education & Block Planning Officer	20%
(ii)	Superintendent Grade-II	15%
(iii)	District Audit Officer/Instructor	05%
(iv)	Lady Social Education Organizer (Mukhya Sevika)	05%
(v)	Extension Officer (Industries)	2.5%
(vi)	Extension Officer (Cooperation)	2.5%
	Total..	50%

For filling up the posts of Block Development Officer the following 85 points “post” based roster shall be followed:—

Roster Point(s) No.	Categories
1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 27th, 29th, 31st, 33rd, 35th, 37th, 39th, 41st, 43rd, 45th, 47th, 49th, 51st, 53rd, 55th, 57th, 59th, 61st, 63rd, 65th, 67th, 69th, 71st, 73rd, 75th, 77th, 79th, 81st, 83rd & 85th	Direct recruitment through the H.P. Administrative Service Etc. Combined Competitive Examination.
2nd, 4th, 8th, 10th, 14th, 22nd, 24th, 28th, 30th, 42nd, 48th, 50th, 54th, 64th, 66th, 70th, & 72nd	Social Education & Block Planning Officer.
6th, 12th, 20th, 26th, 32nd, 38th, 46th, 52nd, 58th, 62nd, 68th, 74th & 78th	Superintendent Grade-II
18th, 34th, 60th & 76th	District Audit Officer/ Instructor
16th, 44th, 56th & 84th	Lady Social Education Organisor (Mukhya Sevika)
40th & 80th	Extension Officer (Industries)
36th & 82nd	Extension Officer (Cooperation)

Note.—The roster will be rotated after every 85th vacancy till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Block Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.

(b) Failing which “on secondment basis” from amongst the incumbents of this post who are Graduate and possessing field experience in Development Sector and also working in the identical pay scale from other Departments/ Boards/ Corporations of the H.P. Government or IAS / HAS Officers till the incumbent(s) in the respective feeder categories become(s) eligible for consideration for promotion(s) to the post(s) of Block Development Officer.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso I supra the “term” in Tribal / Difficult areas” shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.—For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kwar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. . Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhungal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrahar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service render in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of the R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category /post/grade shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post , whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents(s) in-eligible for consideration for promotion if the senior in-eligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority there under or recruited under the provision of Rule -3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly in all cases of confirmation , adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ?.—D.P.C. to be prescribed over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written Test or Practical Test, the standard syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to relax.—Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25-04-2012

No.1-73/70-Fin (LA) Vol-7.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Shri D.L. Thakur, Deputy Director to the post of Joint Director/Joint Controller (Class-I-Gazetted) in the pay Band of ₹15600-39100+ ₹6600 Grade Pay, with immediate effect.

2. Consequent upon the above promotion, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to post him in the Resident Audit Scheme, H.P. University, Shimla-171005.

3. Shri D.L. Thakur will remain on probation for a period of two years and will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Finance).

LOCAL AUDIT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla, the 25-04-2012*

No.1-73/70-Fin (LA)Vol-7.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, Governor, Himachal Pradesh is pleased to promote Shri Suneel Kumar Angra, Assistant Director Local Audit Department, H.P. (Class-I-Gazetted) to the post of Deputy Director/Deputy Controller in the pay band of ₹ 10300-34800 + grade pay ₹ 5400 with immediate effect.

Consequent upon the above promotion, Shri Suneel Kumar Angra will continue to be posted in the Head Office, Shimla-171009.

The above officer will remain on probation for a period of two years and will exercise option for fixation of pay for the above post within the prescribed period.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (Finance).

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री पृथी सिंह पुत्र श्री औंकार सिंह, निवासी गांव मेल, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री मोनिका देवी की जन्म तिथि 18-9-2009 है, जोकि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री मोनिका देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कुमार पुत्र श्री गांधी राम, निवासी गांव कुम्हारका, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि 6-6-2007 है, जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र मोहित कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2007 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अरविन्द्र सिंह पुत्र श्री नेक राम, निवासी गांव मेल, डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री अक्षिता ठाकुर की जन्म तिथि 18-3-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री अक्षिता ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री साजू राम, निवासी गांव बस्ती कूट, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अशविन कुमार की जन्म तिथि 31-10-2008 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र अशविन ठाकुर की जन्म तिथि व नाम ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री सोभिया राम कपूर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव चमलयाड़ी, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री तेजस्वी की जन्म तिथि 27-7-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री तेजस्वी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सोभिया राम कपूर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sidharth Sarpal aged 31 years s/o Shri Pardeep Kumar, r/o Village Slohberi, P. O. Joh, Tehsil Amb, district Una, Himachal Pradesh at presently posted as Judicial Magistrate, Ist Class, Court No. 1, Hamirpur (H. P.).
2. Pooja Thami, aged 28 years d/o Shri Nirmal Kumar Thami, r/o Village Kamyana, P. O. Poabo, District Shimla, Himachal Pradesh presently wife of Shri Sidharth Sarpal s/o Shri Pardeep Kumar, r/o Village Slohberi, P. O. Joh, Tehsil Amb, District Una, Himachal Pradesh . . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sidharth Sarpal and Pooja Thami have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 24-2-2012 at and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 14-5-2012. The objection received after 14-5-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-4-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Sanjeev Kumar aged 30 years s/o Shri Paras Chand, r/o Village Tikkru, P. O. Chamyana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Rachna Kumari, aged 28 years d/o Shri Bihari Lal, r/o Village Tikkru, Barota, P. O. Choru, Tehsil Nadaun, District Hamirpur (H. P.) . . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.— Notice of Intended Marriage.

Shri Sanjeev Kumar and Rachna Kumari have filed an application alongwith affidavits in the Court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within three months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this Court on or before 19-5-2012. The objection received after 19-5-2012 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-4-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Y. P. S.Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Hardeep Kumar, aged 29 years s/o Shri Kimti Lal, r/o Village and P. O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).
2. Minakshi, aged 24 years d/o Shri Subhash Chander, r/o Village, P. O. and Tehsil Amb, District Una (H. P.).

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shri Hardeep Kumar, aged 29 years s/o Shri Kimti Lal, r/o Village and P. O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Minakshi, aged 24 years d/o Shri Subhash Chander, r/o Village, P. O. and Tehsil Amb, District Una (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have intended to solemnize their marriage ceremony as per Hindu Rites and Customs.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 15-5-2012. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-4-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Y. P. S. VERMA,
*Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Dinesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Dhar, P. O. Darpa, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.).
2. Smt. Soni aged 24 years d/o Shri Bishamber Dass, r/o Village Ghumarwin, P. O. Lagmanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01 (49 of 2001).

Shri Dinesh Kumar, aged 32 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Dhar, P. O. Darpa, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) and Smt. Soni aged 24 years d/o Shri Bishamber Dass, r/o Village Ghumarwin, P. O. Lagmanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws [Amendment Act 01, 49 of 2001] that they have solemnized their marriage ceremony on 13-4-2011 at Nawahi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-5-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 4-4-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Y. P. S. VERMA,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).*

**In the Court of Shri Y. P. S. Verma, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Ranvir Singh, aged 24 years s/o Shri Partap Singh, r/o Village Dhar, P. O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh.
2. Smt. Rajni Bala aged 23 years d/o Shri Karam Singh, r/o Village Plassi, P. O. Baldawara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment) Act 01 (49 of 2001).

Shri Ranvir Singh, aged 24 years s/o Shri Partap Singh, r/o Village Dhar, P. O. Dhamrol, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh and Smt. Rajni Bala aged 23 years d/o Shri Karam Singh, r/o Village Plassi, P. O. Baldawara, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this Court u/s 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws [Amendment Act 01, 49 of 2001] that they have solemnized their marriage ceremony on 18-4-2011 at Nawahi Devi Mata Mandir, Tehsil Sarkaghat, District Mandi (H.P.) as per Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-5-2012. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 4-4-2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Y. P. S. VERMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, ग्राम पंचायत वीर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनकी पुत्री दीक्षा का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया है। अतः इस बारे किसी को उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री अमर सिंह, निवासी खपरेहड़ा, तहसील सदर, ग्राम पंचायत वीर ने एक आवेदन-पत्र इस कार्यालय में धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उनके पुत्र जितेन्द्र का जन्म ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज होने बारे दायर किया

है। अतः इस बारे किसी को उजर एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को अदालत हजा में आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : 02

तारीख मरजुआ : 7-4-2012

तारीख पेशी : 15-5-2012

श्री राम चन्द सुपुत्र श्री नाजणु राम, निवासी ढरांगण, डा0 बरोट, तहसील पधर, जिला मण्डी
आवेदनकर्ता।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उद्घोषणा राजपत्र।

हरगाह एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम आम जनता की तामील राजपत्र द्वारा की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम आम जनता को बजरिया उद्घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 15-5-2012 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा करे अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकक्षीय अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 7-4-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री गंगा राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव झीड़ी, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गंगा राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव झीड़ी, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनकी पुत्री श्रविका कश्यप का जन्म दिनांक 17-6-2008 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचयत झीड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 गजे हाजिर होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री गंगा राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 5-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री गुलाब सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह, निवासी गांव बशौहट, डा० बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुलाब सिंह पुत्र स्व० श्री टेक सिंह, निवासी गांव बशौहट, डा० बान्धी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन गुजारा है कि उनके पिता श्री टेक सिंह की मृत्यु दिनांक 23-1-1993 को हुई थी परन्तु अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचयत बान्धी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 7-5-2012 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र श्री गंगा राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 5-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुलाब सिंह ठाकुर,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा० बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रार्थी।

बनाम

निर्मला देवी व लता देवी पुत्रियां काली दास, लीला देवी पुत्री व चैतरी विधवा नरैणू, समस्त निवासीगण लुणग्राम, उप तहसील धर्मपुर प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 64/106, किता 36 रकबा 00-53-62 है० जमाबन्दी वर्ष 2006-07 स्थित महाल ठाणा/128, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा० बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी बनाल, डा० बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 40/60, किता 12, रकबा 0-14-70 है० जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रार्थी।

बनाम

जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 41/61, किता 12, रकबा 0-05-60 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रार्थी।

बनाम

जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, कंचना व मधू पुत्रियां ब्यास देव, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना—पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 46/69, किता 111, रकबा 0-71-42 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

जय गोपाल पुत्र पुरन चन्द, कंचना व मधू पुत्रियां ब्यास देव, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 45/66, किता 19, रकबा 01-08-46 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

कश्मीर सिंह, सुरेन्द्र कुमार, बलविन्द्र कुमार पुत्रगण व मन्जुला पुत्री तथा कुन्ता देवी विधवा रूप लाल, निवासीगण बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 6/8, रकबा 0-27-24 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिखू, निवासी वनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

जय गोपाल पुत्र पुरन, निवासी बनाल, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 42/62, रकबा 0-31-77 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल बनाल/131, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री अच्छर सिंह पुत्र श्री घौना आदि, निवासी सनौर, डा0 सरी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

शशी कान्त पुत्र व शारदा देवी, रजनी देवी, सुनीता देवी, अनिता देवी, सरीता देवी, बबीता देवी पुत्रियां लश्करी राम, मैना देवी, शोधा देवी पुत्रियां देवी सिंह व प्रकाश, सुखू व बिटू पुत्रगण बालकू, समस्त निवासी सनौर, डा0 सरी, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 23/45, किता 31, रकबा 01-27-67 है० जमाबन्दी वर्ष 2007-08 स्थित महाल सनौर/79, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 3-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा० बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्राथी।

बनाम

राज कुमारी, पिकी देवी, वीना देवी पुत्रियां व शुकरी देवी विधवा मेहर सिंह, समस्त निवासीगण झरेड़ा,
उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं० 18/31, रकबा 01-32-80 है० जमाबन्दी वर्ष 2008-09 स्थित महाल ठाणा/128, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री रूप लाल पुत्र श्री काली दास, निवासी लुणग्राम, डा0 बरोटी, उप तहसील धर्मपुर प्रार्थी।

बनाम

सुन्दरू विधवा कुन्दन, सावित्री पुत्री जानकी, पार्वती पुत्री भगत, निर्मला देवी व लता देवी पुत्रियां काली दास, समस्त निवासीगण लुणग्राम, उप तहसील धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 30/56, किता 185, रकबा 01-75-00 है0 जमाबन्दी वर्ष 2005-06 स्थित महाल लुणग्राम/125, उप-तहसील धर्मपुर।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम में उक्त फरीकैन दोयम को इस न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए। परन्तु उक्त प्रतिवादीगण जानबूझ कर पैरवी मुकद्दमा में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जिससे मामले के निपटारे में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः इस इशतहार द्वारा उक्त फरीकैन दोयम को सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-5-2012 को प्रातः 10.30 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 27-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जी0 आर0 ठाकुर, स्पेशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0), जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री विनय ठाकुर पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पति।

श्रीमती पायल कुमारी पुत्री श्री मुख्त्यार सिंह, निवासी वसालन, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी व हाल पत्नी श्री विनय ठाकुर पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी सगनेहड, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश पत्नि।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत विवाह पंजीकृत करने बारे।

उपरोक्त मामला में श्री विनय ठाकुर व श्रीमती पायल कुमारी ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 27-2-2009 को गांव सगनेहड, डा0 चौन्तड़ा, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में हिन्दु रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15, चैप्टर-III स्पेशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।

अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-5-2012 को प्रातः 2.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18-3-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

रत्न गौतम,
स्पेशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0),
जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बबली पत्नी श्री भागमल उर्फ राज कुमार, निवासी बाल्हड़ा, ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरखास्त बराए दरुस्ती नाम।

प्रार्थिया श्रीमती बबली पत्नी श्री भागमल उर्फ राज कुमार, निवासी बाल्हड़ा, उप-तहसील धर्मपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया है कि उसके पति का वास्तविक नाम भागमल उर्फ राज कुमार, है परन्तु कागजात माल मुहाल बाल्हड़ा में उसके पति का नाम भागमल गलत दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर, ब्यान हल्फिया संलग्न कर रखा है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम या खास को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-5-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थना-पत्र का निपटारा नियमानुसार कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

ज्ञान चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
धर्मपुर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District
Mandi, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.).

2. Smt. Neelam Kumari d/o late Sh. Babu Ram, r/o V. P. O. Banikhet, Tehsil Sadar, District Chamba, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.). . . Applicants.

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.) and Smt. Neelam Kumari d/o late Sh. Babu Ram, r/o V. P. O. Banikhet, Tehsil Sadar, District Chamba, Himachal Pradesh (at present wife of Shri Krishan Chand Kaushal s/o late Sh. Shankar Dass, r/o Village and P. O. Nagwain, Sub- Tehsil Aut, Distt. Mandi (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 26-7-2001 according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 13-5-2012 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 13th day of April, 2012 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sadar Mandi, District Mandi (H. P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर, जिला मण्डी (हि० प्र०)

ब मुकद्दमा :

श्री यशवन्त कुमार पुत्र श्री सुभाष चन्द, निवासी जलौण, डा० वरयारा, तहसील सदर, जिला मण्डी
... वादी ।

बनाम

आम जनता

... प्रतिवादी ।

विषय.—प्रार्थना—पत्र पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारा ।

प्रार्थी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में जसवन्त कुमार है, जो कि अज्ञानतावश गलत दर्ज हो गया है जबकि राजस्व अभिलेख में यशवन्त कुमार है, जो कि सही है। मेरा नाम पंचायत अभिलेख में दुरुस्त किया जावे ।

अतः अब सर्व साधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-5-2012 को असालतन या वकालतन सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत पेश हो। गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सदर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री मनोज कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मिसल नं0 5/2012

तारीख मरजुआ 17-4-2012

तारीख पेशी : 17-5-2012

ब मुकद्दमा :

श्रीमती रुमा देवी पत्नी श्री पृथ्वी चन्द, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती रुमा देवी पत्नी श्री पृथ्वी चन्द, निवासी ममाण, डाकघर व तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में अधीन धारा 13 (3) के अन्तर्गत जन्म तिथि दर्ज करने हेतु आवेदन-पत्र गुजार रखा है कि प्रार्थीन की वास्तविक जन्म तिथि 8-2-1955 है परन्तु पंचायत अभिलेख मुहाल पीहड़ बैहडलू में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थीन अपनी जन्म तिथि पंचायत अभिलेख पीहड़ बैहडलू में दर्ज करवाना चाहती है। जिसे पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थीन की वास्तविक जन्म तिथि 8-2-1955 पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 17-5-2012 को अपना उजर व एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर-हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मनोज कुमार,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लड-भडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No.KSL-RD-I/12-8

Date of Institution : 2-4-2012

Fixed decision : 17-5-2012

Shri Shawnoo Ram son of Shri Devi Dutt, resident of Village Baggi, P. O. Jagjitnagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh .. *Applicant.*

Versus

General public

.. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Shawnoo Ram son of Shri Devi Dutt, resident of Village Baggi, P. O. Jagjitnagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his daughter Mrs Kunti Devi born on 6-8-1988 at Village Baggi, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but her date of birth could not be registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Jagjitnagar, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Kunti Devi daughter of the applicant, may submit his objection in writing in this court on or before 17-5-2012 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 5th day of April, 2012.

Seal.

LALIT SHARMA,
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.*

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 5/13बी ऑफ 2012

श्री अमर चन्द पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी गांव चमरोल वाला, पी० ओ० चाखड़, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री अमर चन्द पुत्र श्री बुद्धि राम, निवासी गांव चमरोल वाला, पी० ओ० चाखड़, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत

अभिलेख/परिवार रजिस्टर में बबलू लिखा गया है जबकि उसका नाम शिक्षा सम्बन्धी अभिलेख में अमर चन्द है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर नकल, आठवीं का प्रमाण-पत्र तथा पहचान-पत्र की फोटो कॉपी संलग्न किये हैं। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख में अमर चन्द किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 4-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 3-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री प्रेम सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्री लेख राज गुप्ता पुत्र स्व० श्री टी० आर० गुप्ता, निवासी ग्राम बढ्ढल, डा० गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री लेख राज गुप्ता पुत्र स्व० श्री टी० आर० गुप्ता, निवासी ग्राम बढ्ढल, डा० गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र दिया है कि उसके पुत्र सुशील गुप्ता का जन्म दिनांक 19-11-1979 को ग्राम बढ्ढल, डा० गोयला, तहसील कसौली, उप-तहसील कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज न करवा सका है तथा दर्ज करने की प्रार्थना की है।

अतः इस इशतहार राजपत्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त की जन्म तिथि दिनांक 19-11-1979 को ग्राम पंचायत गोयला, के रिकॉर्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति/एतराज हो तो वह असातन या वकालतन दिनांक 21-5-2012 को सुबह 10 बजे हाजिर होकर आपत्ति/एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा सुशील गुप्ता पुत्र श्री लेख राज गुप्ता की जन्म तिथि 19-11-1979 को ग्राम पंचायत गोयला के रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-4-2012 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रेम सिंह नेगी,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कृष्णगढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

मिसल नं0 ऑफ 2012

श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव डुगनू (स्यारी), पी0 ओ0 खरडहट्टी, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री जगदीश, गांव डुगनू (स्यारी), पी0 ओ0 खरडहट्टी, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में बिट्टू लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र आदि में कृष्णा देवी लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, स्कूल परित्याग प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में कृष्णा देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 ऑफ 2012

श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, गांव जखौली, पी0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती सुनीता देवी पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र कुमार, गांव जखौली, पी0 ओ0 मज्याट, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम

पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में रीता देवी लिखा गया है जबकि वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक आदि में उसका नाम सुनीता देवी लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, वोटर कार्ड आधार कार्ड, बैंक पास बुक की कापियां व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया अनपढ़ है जिस बारे उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में सुनीता देवी किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० श्री खेम सिंह, गांव देवरा, पी० ओ० डुमैहर, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व० श्री खेम सिंह, गांव देवरा, पी० ओ० डुमैहर, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में खेम चन्द लिखा गया है जबकि उसका नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य कागजात में खेम सिंह है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया तथा जमाबन्दी की नकल, पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में खेम सिंह किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

श्री तेज लाल पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव लाहमो (दावटी), डा0 घणागुघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी श्री तेज लाल पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव लाहमो (दावटी), डा0 घणागुघाट, तहसील अर्की, ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में ब्रिज लाल लिखा गया है जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र तथा राजस्व अभिलेख आदि में उसका नाम तेज लाल लिखा गया है जो कि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थी चाहता है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में तेज लाल किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 21-5-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-4-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह, वासी वसोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दरखास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मोहन सिंह पुत्र श्री सन्ता सिंह, वासी वसोली, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में दरखास्त दी है कि उसके पुत्र यशपाल सिंह का जन्म गांव वसोली में दिनांक 21-3-1992 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-5-2012 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असागतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-4-2012 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25-04-2012

संख्या: टीसीपी-एफ (5)-5/2010-11.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, प्रारूप हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अमेंडमेंट रूलज, 2011 को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28.02.2011 द्वारा, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) और सुझाव(वों) आमंत्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित किए गए थे;

और इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर विचार किया गया;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूलज, 1978 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अमेंडमेंट रूलज, 2012 है।

2. नियम 12 संशोधन.—हिमाचल प्रदेश टॉऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूलज, 1978 के रूल 12 के सब रूल (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया सब रूल (2ए) अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the provisions of these rules, the

structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 time of development fee under this rule”.

आदेश द्वारा,
हस्ता0/—
प्रधान सचिव (नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English Text of Government Notification No.TCP-f(5)-5/2010-II dated 25-04-2012-as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India]

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25-04-2012

No. TCP-F(5)-5/2010-II .—Whereas the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2011 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) vide this department notification of even number dated 28.02.2011 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (I) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No.12 of 1977);

And whereas, objection(s) and suggestion (s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf and the same have been considered;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978,namely:-

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2012.

2. Amendment of rule-12.— After sub-rule (2) of rule 12 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 1978, the following new sub-rule(2A) shall be inserted, namely:-

“(2A) In cases of construction carried out without obtaining prior development permission as required under sections 15-A, 16 and 30 but without any violation of regulations of Interim Development Plans/Development Plans and any of the provisions of these rules, the structure so constructed shall be regularized on payment of composition fees equal to 10 time of development fee under this rule”.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TCP).

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 21 अप्रैल, 2012

सं० ईडीएन-सी-ए(1)-3/2011.-राज्यपाल हि० प्र० निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसरण में पाठशाला मानचित्रिकरण प्रक्रिया (School Mapping Exercise) के अन्तर्गत निम्न वर्णित स्थानों में नई राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं खोलने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	शिक्षा खण्ड का नाम	गांव का नाम जहां प्रस्तावित पाठशाला खोली जानी है
1.	बिलासपुर	सदर	डुन्गलू
2.	चम्बा	सुण्डला	दरौर
3.	चम्बा	तीसा	चिरवाडी
4.	चम्बा	तीसा	दौना
5	चम्बा	तीसा	सौटी
6.	चम्बा	तीसा	सरुआ
7.	चम्बा	तीसा	बड़ा
8.	चम्बा	मैहला	प्रीना
9.	चम्बा	मैहला	हिन्द
10	चम्बा	हरदासपुरा	सराहन
11	चम्बा	हरदासपुरा	मत्याना
12	चम्बा	हरदासपुरा	पेटी
13	चम्बा	सलूणी	सरोगा
14	चम्बा	सलूणी	दिगोडी
15	चम्बा	सलूणी	नाचनोटी
16	चम्बा	सलूणी	थनेला
17	चम्बा	सलूणी	सिंगा
18	चम्बा	चुवाड़ी	तुरकाड़ा
19	चम्बा	चुवाड़ी	गराना

20	चम्बा	चम्बा	अमरेली
21	कांगड़ा	इन्दौरा	टिकरी
22	कुल्लू	आनी	भाकाहनौ
23	कुल्लू	आनी	बशलानी
24	कुल्लू	बन्जार	बेल्हो
25	कुल्लू	बन्जार	धारा
26	किन्नौर	निचार	सकी चारंग
27	मण्डी	सिराज-1	सोबलाली
28	मण्डी	दरंग-1	छतर
29	मण्डी	करसोग-1	कामुहेरी
30	मण्डी	करसोग-1	बटाला बाहल
31	सिरमौर	सतौन	चयाली
32	सिरमौर	बकरास	दुरेच
33	सिरमौर	पांवटा साहिब	चलोई
34	सिरमौर	पांवटा साहिब	भूडी
35	सिरमौर	पांवटा साहिब	गुरुवाला
36	सिरमौर	पांवटा साहिब	पट्टीनत्थासिंह
37	सिरमौर	पांवटा साहिब	भुगारनी
38	सिरमौर	पांवटा साहिब	फुलपुर शमशेरपुर
39	सोलन	अर्की	बनोह
40	सोलन	अर्की	बहावां
41	सोलन	कुठाइ	सैन्सीवाला
42	सोलन	कुठाइ	सुआ
43	सोलन	कुठाइ	महाली
44	सोलन	कुठाइ	गिटा
45	शिमला	कुपवी	चांडवा

आदेश द्वारा,
हस्ता०/—
सचिव (शिक्षा)।

In the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla

ORIGINAL JURISDICTION

Company Petition No. 1/2012

In the matter of Sections 391-394 of the Companies Act, 1956

and

In the matter of Scheme of Amalgamation of Himachal Fine Blank Limited with KDDL Limited

And in the matter of

Himachal Fine Blank Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo,
Himachal Pradesh-173220, India . . *Transferor Company*

WITH/AND

KDDL Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal
Pradesh-173220, India . . *Transferee Company*

Notice convening meeting of Share holders, Secured Creditors and Unsecured Creditors

To

Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of KDDL Limited (Transferee
Company)

Take notice that by an order made on 20-3-2012, the Court has directed that meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the company be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of may, 2012 at 2.00 P. M., 3.00 P. M. and 4.00 P. M. respectively, for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said Company and Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company.

Take further notice that in pursuance of the said order, meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company will be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of may, 2012 at 2.00 P. M., 3.00 P. M. and 4.00 P. M. respectively, when you are requested to attend.

Take further notice that you may attend and vote at the said meetings in person or by proxy, provided that a proxy in the prescribed form, duly signed by you, is deposited at the registered office of the Company at Plot No. 3 Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220, not later than 48 hours before the meeting.

This court has appointed Shri Praneet Gupta , Advocate to be the Chairman and failing him, Shri Vishal Panwar, Advocate to be the Alternate Chairman of the said meetings.

A copy each of the compromise or arrangement, the statement under section 393 and a form of proxy has been already sent, however in case any person desirous to obtain another copy of the same can have it from the registered office of the Company on any working day between the working hours.

Dated this 10th day of April, 2012

Sd/-	
(VISHAL PANWAR)	(PRANEET GUPTA)
<i>Alternate Chairman</i>	<i>Advocate</i>
	<i>Chairman Appointed for the Meeting.</i>

In the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh at Shimla

ORIGINAL JURISDICTION

Company Petition No. 1/2012

In the matter of Sections 391-394 of the Companies Act, 1956

and

In the matter of Scheme of Amalgamation of Himachal Fine Blank Limited with KDDL Limited

And in the matter of

Himachal Fine Blank Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India . . *Transferor Company*

WITH/AND

KDDL Limited having its Registered Office at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo, Himachal Pradesh-173220, India . . *Transferee Company*

Notice convening meeting of Share holders, Secured Creditors and Unsecured Creditors

To

Equity Shareholders, Secured and Unsecured Creditors of
Himachal Fine Blank Limited (Transferor Company)

Take notice that by an order made on 20-3-2012, the Court has directed that meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the company be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of May, 2012 at 10.00 A. M., 11.00 A. M. and 12.00 Noon respectively, for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification, the compromise or arrangement proposed to be made between the said Company and Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company.

Take further notice that in pursuance of the said order, meetings of Equity Shareholders, Secured Creditors and Unsecured Creditors of the Company will be held at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220 on the 12th day of May, 2012 at 10.00 A. M., 11.00 A. M. and 12.00 Noon respectively, when you are requested to attend.

Take further notice that you may attend and vote at the said meetings in person or by proxy, provided that a proxy in the prescribed form, duly signed by you, is deposited at the registered office of the Company at Plot No. 3, Sector-III, Parwanoo (Himachal Pradesh)-173220, not later than 48 hours before the meeting.

This court has appointed Shri Ajay Mohan Goel, Advocate to be the Chairman and failing him, Shri Suneet Goel, Advocate to be the Alternate Chairman of the said meetings.

A copy each of the compromise or arrangement, the statement under section 393 and a form of proxy has been already sent, however in case any person desirous to obtain another copy of the same can have it from the registered office of the Company on any working day between the working hours.

Dated this 10th day of April, 2012

Sd/-
(AJAY MOHAN)

Advocate

Chairman Appointed for the Meeting.

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश, शिमला
मूल क्षेत्राधिकार

कम्पनी याचिका नं० 4 वर्ष 2012

इनके मामले में :-

धारा 391 से 394 कम्पनी अधिनियम, 1956

और इनके मामले में :-

सम्मिश्रण की योजना स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड साथ में स्थापना रिटेल लिमिटेड मुताबिक धारा 391 से 394 और दूसरे प्रावधानों कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत।

और इनके मामले में :-

स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।

.....याचिकाधिकारी/अन्तरक कम्पनी

और इनके मामले में :-

स्पाइस रिटेल लिमिटेड, यह कम्पनी कम्पनीज अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्थापित है तथा इसका पंजीकृत कार्यालय गांव बिल्लनवाली लबाना, पोस्ट ऑफिस बद्दी, तहसील नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश-173205 के उपरोक्त न्यायाधिकरण के अन्तर्गत है।

.....याचिकाधिकारी/अन्तिरित कम्पनी

याचिका की सूचना

कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 391 तथा 394 अन्तर्गत याचिका स्पाइस डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड साथ स्पाइस रिटेल लिमिटेड की व्यवस्था योजना उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता कम्पनीज द्वारा तिथि 27 फरवरी, 2012 में प्रस्तुत की गई थी तथा 23 मार्च, 2012 में सूचीबद्ध थी तथा कथित याचिका तिथि 15 मई, 2012 की माननीय कम्पनीज न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई हेतु निर्धारित है।

कोई व्यक्ति कथित याचिका के प्रतिवाद का इच्छुक है, स्वयं की इच्छा की एक सूचना स्वयं के नाम तथा पता के साथ याचिकाकर्ता कम्पनीज के अभिवक्ता को निर्धारित तिथि से 3 (तीन) दिन से अधिक विलम्ब नहीं पहुंचना चाहिए। वो कोई व्यक्ति इस याचिका के प्रतिवाद हेतु प्राप्त करता है, प्रतिवाद के आधार तथा स्वयं के शपथ-पत्र की एक प्रति इस प्रकार की सूचना के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए। याचिका की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त हेतु निर्धारित शुल्क के भुगतान से उक्त की अपेक्षाकर्ता किसी व्यक्ति हेतु प्रस्तुत करना होगा।

तिथि : 26-4-2012

हस्ताक्षरित/-

खेतान एण्ड पार्टनर्स,

आवेदक कम्पनीज हेतु अधिवक्ता डब्ल्यू-13,
वेस्ट विंग, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048.

**IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
ORIGINAL JURISDICTION**

COMPANY PETITION NO. 4 OF 2012

In the matter of :

Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956;

And in the matter of :

Scheme of Amalgamation of SPICE DISTRIBUTION LIMITED with SPICE RETAIL LIMITED pursuant to Sections 391 to 394 and other relevant provisions of the Companies Act, 1956.

And in the matter of :

SPICE DISTRIBUTION LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173205 within the aforesaid jurisdiction.

PETITIONER/TRANSFEROR COMPANY.

And in the matter of :

SPICE RETAIL LIMITED, a Company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 having its registered Office at Village Billanwali Labana, Post Office Baddi, Tehsil Nalagarh, Baddi, Himachal Pradesh-173205, within the aforesaid jurisdiction.

PETITIONER/TRANSFeree COMPANY.

NOTICE OF PETITION

A petition under Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of this Hon'ble Court to a Scheme of Amalgamation of Spice Distribution Limited and Spice Retail Limited was presented by the Petitioner Companies above named on 27-2-2012 and was listed on 23-3-2012. The said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 15-5-2012.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send the notice of his intention, signed by him or his advocate with his/her name and address to the Advocates of the

petitioner Companies so as to reach the Advocates for the Petitioner Companies not later than 3 (three) days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds for opposition, and a copy of his affidavit should be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same upon payment of the prescribed charges for the same.

Sd/-

(KHAITAN & PARTNERS)

Dated : 26-4-2012

ADVOCATES FOR THE PETITIONER COMPANIES

W-13, WEST WING GREATER KAILASH PART-II

NEW DELHI-110048.